न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 66/2018 दायरा दिनांक : 05.04.2018

उनवान

1— दीपक राठौर पुत्र श्री जमना लाल आयु 23 वर्ष जाति तेली,

2— कुसुम पुत्री जमना लाल, आयु 25 वर्ष, जाति तेली,

निवासी ग्राम अलीगंज, सब्जीमंडी के पास, पुराना अस्पताल छबडा जिला बारां राज.

3— सुमन पुत्री प्रभुलाल पत्नी मुकुट बिहारी राठौर, आयु 45 वर्ष, जाति तैली निवासी मोई तहसील सांगोद हाल गणेश नगर, कोटा राज.

.... अपीलांट

बनाम

1— रमेश चन्द पुत्र मांगीलाल, जाति तेली,

2— भैरूलाल पुत्र मांगीलाल, जाति तेली,

निवासी ग्राम अलीगंज, सब्जीमंडी के पास, पुराना अस्पताल छबडा जिला बारां राज.

3— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छबडा, जिला बारां राज.

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री उमाशंकर गोस्वामी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री धीरेन्द्र मालव एवं जगदीश नन्दवाना अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 31.12.18

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा के प्रकरण संख्या – 146/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 21.11.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि माल छबड़ा, तहसील छबड़ा के आराजी खसरा नं. 215 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा एवं आराजी खसरा नं. 218/1375 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 25 बीघा 7 बिस्वा मूलचन्द पुत्र श्री बद्रीलाल जाति राठौर (तेली) निवासी की खातेदार काश्तकार थे। मूलचन्द के एक मात्र वारिस उनकी पुत्री कजोड़ी बाई थी। कजोड़ी बाई के वारिस जमनालाल व सुमन हुई। जमनालाल फौत हो गया व उसके वारिस कुसुम व दीपक है, जो सभी अपीलांट हैं।

मूलचन्द खातेदार की मृत्यु 10–04–1964 को हुई तथा दिनांक 29–03–1969 को इन्तकाल नं. 282 रजि. बेचान के आधार पर मांगीलाल पुत्र उदा तेली के नाम इन्तकाल दर्ज किया गया। उपरोक्त इंतकाल व विक्रय दस्तावेज को खारिज किया जावे क्योंकि मूलचन्द ने अपने जीवनकाल में कभी भी कोई बेचान नहीं किया, जबकि उपरोक्त जमीन पर मूलचन्द के वारिसानों का कब्जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट के सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11 के प्रार्थना पत्र को निर्णित करते हुए दावा खारिज कर दिया गया जो मनमाना व गैरकानूनी है एवं निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 05.03.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । उभयपक्षीय बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एक पक्षीय होने से निरस्त करने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही बताया व यथावत रखने हेतु कथन किया। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

हमारे द्वारा पत्रावली का अध्ययन किया गया, जिसके अनुसार मूलचन्द विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार था। नामान्तरकरण 282 पर दर्ज तहरीर अनुसार उपरोक्त विवादित आराजी बेचान से मांगीलाल पुत्र ऊदा तेली के नाम दर्ज हुई व वर्तमान में मांगीलाल के वारिस रमेशचन्द व भैरूलाल के नाम दर्ज है। नामान्तरकरण के 282 दिनांक 14–02–1969 को स्वीकृत है। उपरोक्त नामान्तरकरण को कभी चैलेंज नहीं किया गया। इतने वर्षो बाद खातेदार के विरूद्ध दावा लाने का कोई ठोस कारण अपील में अंकित नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

राजस्व मण्डल की फुल बैंच में निर्णय दिनांक 30.08.2018 उनवान सरजू राव बनाम अमृत लाल अपील/डिक्री/टीए/5176/2002/कोटा वगैरह के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं । अतः विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज

खातेदार के विरूद्ध बिना किसी ठोस कारण के अपील अपीलांट अस्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.11.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा